09.02.2022

राजकुमार बनाम देवन्द्रसिह वगैहर

मुकदमा नम्बर 234 / 2011

आरसीएमएस 2011 / 00151

आज यह पत्रावली वकिल प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे ली गई। वकिल प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 24.3.2022 नियत है। इस प्रार्थना पत्र में पूर्व मे प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी कर रखी है। परन्तु उक्त आदेश की अवधि बढाई नही गई है जिसके कारण अप्रार्थीगण उक्त विवादीत भूमि को विक्रय कर रहे है। जिससे प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। वकिल प्रार्थी ने बैयनामा दिनांक 20.3.2019 एवं नामान्तकरण संख्या 93 दिनांक 27.3.2019 की प्रतिया पेश की। वकिल प्रार्थी ने निवेदन किया की पूर्व प्रसारित आदेश की अवधि बढाई जावे।

इसके विपरीत वकिल अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु आवाजे लगवाई गई। परन्तु उनकी तरफ को कोई हाजिर नही आया है।

हमने एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 वकिल प्रार्थी सुनी। वकिल प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की सुनवाई में जानबूझकर देरी कर रहे है, तथा विवादीत भूमि को रहन बैय कर रहे है। प्रार्थना पत्र में जबाब बंद किया जा चुका है। वादगरस्त भूमि प्रार्थी की खरीद शुदा भूमि हैं प्रार्थी ने जरिये बैयनाम दिनांक 01.12.2009 को खरीद की है। दौराने प्रार्थना पत्र विवादीत भूमि को विक्रय कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूर्णिय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष का है।

बहस वकिल प्रार्थी सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। वकिल प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तकरण, बैयनामा की प्रतियों का ध्यान पूर्वक अध्ययन किया। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा विवादीत भूमि को विक्रय किया गया। पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की सुनवाई में किसी प्रकार कोई दिलचस्पी नही है। विवादीत भूमि प्रार्थी की खरीद शुदा हैं प्रार्थी ने जरिये बैयनाम दिनांक 01.12.2009 को खरीद की है। इसलिए प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष का प्रतीत होता है।

उपुर्यक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर। अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि ग्राम शहर स्वरूपदेसर के खसरा नम्बर 133 तादादी 0.75 हैक्टयर भूमि को वाद के निर्णय तक रहन बैय मुन्तकिल नही करे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रकरण नम्बर से कम किया जाकर। बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.02.2022 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Khatri
Date: 2022.03.22 12:08:33 IST
Reason: SelfAttested

(बिन्दु खत्री)
सहायक कलक्टर,
बीकानेर शहर